

न्यायालय उप जिलाधिकारी, सकलडीहा

वाद संख्या-T2022196301761682

अन्तर्गत धारा-४०उ०प्र०स०संहिता-२००८

मौजा-कैथी पर० महुआरी

तहसील-सकलडीहा जनपद-चन्दौली

विमला थेरिटेयुल ट्रस्ट वजरिये अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह वनाम सरकार

निर्णय

विमला थेरिटेयुल ट्रस्ट वजरिये अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह पुत्र कन्हैया रिंग निंग्राम-कैथी पर० महुआरी तहसील सकलडीहा जनपद चन्दौली द्वारा अन्तर्गत धारा 143 ज०विजित वर्तमान धारा ४० उ०प्र०स० संहिता के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियेदन किया गया है कि आ०नं० ३६० रक्या ०.४८० हे०, आ०नं० ३६५ रक्या ०.१२६ हे०, आ०नं० ३९४ रक्या ०.०८१० हे०एवं आ० नं० ८१८ क रक्या ०.१२३५ हे०, गाटा सं० ३६०/०.४८० हे०, ३६५/०.१२६ हे०, ३९४/०.०८१० हे०, ८१८क/०.१२३५ हे० स्थित मौजा कैथी परगना-महुआरी तहसील-सकलडीहा जिला-चन्दौली प्रार्थी की भूमिघरी भूमि है अध्यासन में है तथा राजस्य अभिलेखों में प्रार्थी विमला थेरिटेयुल ट्रस्ट का नाम दैसियत संक्रमणीय भूमिघर में अंकित चला आ रहा है उक्त सम्पत्ति ट्रस्ट का सम्पत्ति है जिसमें विद्यालय भवन दना है तथा शेष भाग निर्माणाधीन है उक्त आराजियाता कृपि योग्य नहीं रह गयी है। अन्त में प्रार्थना किये हैं कि उक्त भूमि को गैर कृपिक प्रयोजनार्थ उद्घोषित किया जाय ताकि न्याय हो। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ उद्धरण खतीनी खसरा तथा फोटो ग्राफ प्रस्तुत कराया गया। उक्त प्रार्थना पत्र की जांच तहसीलदार सकलडीहा से कराई गयी। तहसीलदार सकलडीहा द्वारा क्षेत्रीय राजस्य कर्मियों से जांच कराकर अपनी आख्या दिन ०7.12.2021 न्यायालय में प्रस्तुत की गयी वाद दर्ज रजिस्टर हुआ क्षेत्रीय लेखपाल का यथान अंकित कराया गया जिसमें उक्त भूमि पर स्कूल बने होने तथा कृपि कार्य न होने की पुष्टि की गयी।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन/परिशीलन किया गया। पत्रावली में संलग्न उद्धरण खतीनी 1425-1430फ० के खाता सं० ०००१० गाटा सं० ३६०/०.४८० हे० खाता सं० ००४७६ गाटा सं० ३६५/०.१२६ हे० खाता सं० ०००१० गाटा सं० ३९४/०.०८१० हे० गाटा सं० ८१८कमि०/०.१२३५ हे० स्थित मौजा कैथी पर वादी का नाम संक्रमणीय भूमिघर के रूप में अंकित है तथा उद्धरण खसरा सन् १४२५-१४३०फ० में गी उक्त आराजियात पर विद्यालय भवन अंकित है तहसीलदार सकलडीहा की आख्या दिनांक ०७.१२.२०२१ में उल्लिखित किया गया कि उक्त आराजियात पर नव निर्मित स्कूल बना है तथा कुछ भूमि फील्ड के रूप में स्थित है उक्त आराजियात में कृपि कार्य नहीं होता है वल्कि मौके पर उक्त भूमि अकृपिक रूप से प्रयोग में लायी जा रही है जिसकी पुष्टि क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा अपने यथान में की गयी है ऐसी स्थिति में उक्त उक्त भूमि को गैर कृपिक प्रयोजनार्थ उद्घोषित किये जाने में कोई वैधानिक अड्डवन प्रतीत नहीं कोती है।

आदेश

मौजा-कैथी परगना-महुआरी तहसील-सकलडीहा जनपद-चन्दौली के उद्धरण खतीनी 1425-1430 फ० के खाता सं० ०००१० गाटा सं० ३६०/०.४८० हे० खाता सं० ००४७६ गाटा सं० ३६५/०.१२६ हे० खाता सं० ०००१० गाटा संख्या ३९४/०.०८१० हे० खाता सं० ०००११ गाटा सं० ८१८कमि०/०.१२३५ हे० भूमि गैर कृपिक प्रयोजनार्थ उद्घोषित की जाती है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार सकलडीहा को अनुपालन हेतु भेजी जाय तथा एक प्रति निःशुल्क नियमन हेतु उप नियन्त्रक राकलडीहा को भेजी जाय। वाद आयश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दपतर हो।

दिनांक - १०-१२-२०२१

(अजमूर्जनारु मिश्र)
उप जिलाधिकारी
सकलडीहा २०२१